

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

क्रमांक: जविप्रा/स.स./बीपीसी/2002/डी-73

दिनांक: 8-3-2002

विषय:- भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान)की
बैठक...प.तु.धे...दिनांक...5-3-2002का
कार्यवाही विवरण।

महोदय,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउट प्लान) की बैठक सं०.....
दिनांक...5-3-2002 प्रातः/समय...11:00 बजे जयपुर विकास आयुक्त
महोदय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण संलग्न कर
प्रेषित किया जा रहा है।

भवदीय



सदस्य सचिव,

भवन मानचित्र समिति(ले-आउटप्लान)

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक
2. श्री अशोक तंवर, विधायक
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य
4. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
5. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
6. निदेशक(आयोजना) जविप्रा, जयपुर।
7. अति.आयुक्त(भूमि) जविप्रा, जयपुर।
8. वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)/(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
9. उपायुक्त, जोन....., जविप्रा, जयपुर।



सदस्य सचिव,

बीपीसी(ले-आउट प्लान)

(1)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बी.पी.सी. (ले आउट प्लान) की बैठक दिनांक 05.03.2002 का कार्यवाही विवरण।

जोन डी-2

- | | | |
|-----|--|-------------------------------|
| (1) | 1. खातेदार / गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | भैरव गृह निर्माण सहकारी समिति |
| | 2. योजना का नाम | न्यू कालोनी |
| | 3. ग्राम का नाम व खसरा नम्बर | नीदड़ ख.न. 1740, 1741, 1742 |
| | 4. सेक्टर नम्बर | — |

जोनल लेवल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त / संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना में आवासीय क्षेत्र 60 प्रतिशत एवं सड़क सुविधा हेतु 40 प्रतिशत रखते हुए योजना का अनुमोदन किया जावे।
2. राजकीय स्कूल के पूर्व में स्थित लेन को 15' किया जावे।
3. योजना के अन्दर स्थित सड़कों को 25' के स्थान पर 30' एवं 30' के स्थान पर 40' किया जावे।
4. भूखण्ड संख्या 11, 12, 13, 14 एवं 15 को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे। सुविधा क्षेत्र के पच्छिम में स्थित 25' सड़क को 40' किया जावे।
5. जयरामपुरा को जाने वाली सड़क की चौड़ाई 60' रखी जावे।
6. योजना आबादी सीमा से 500 मीटर के रेडीयस में होने के कारण भू-उपयोग उपान्तरण की आवश्यकता नहीं है।
7. जोनल समिति द्वारा भूखण्ड संख्या 15, 16 व 35 में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल कम मिलने के कारण इन भूखण्डों को स्वीकृति नहीं दिये जाने की सिफारिश की गयी थी किन्तु समिति द्वारा विचार विमर्श पश्चात पाया गया कि भूखण्ड संख्या 16 में न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल मिल जाता है अतः इस भूखण्ड को स्वीकृति किया जावे। भूखण्ड संख्या 15 को पहले ही सुविधा क्षेत्र में दर्शा दिया गया है। भूखण्ड संख्या 35 को जोनल समिति की सिफारिश अनुसार स्वीकृत नहीं किया जावे।
8. योजना को जविप्रा आदेश क्रमांक अ.आ./भूमि/2002/डी-451 दिनांक 25.02.2002 के अनुसरण में राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

- (2)
- | | |
|--|---------------------------------------|
| 1. खातेदार / गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | बाबा आर.एन.गौड़ गृ.नि.स.स. |
| 2. योजना का नाम | रिघु नगर - ए |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नम्बर | निवारू, खसरा नं. 361/543
हाथोज 493 |
| 4. सेक्टर नम्बर | — |

जोनल लेवल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 27.02.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त / संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना में आवासीय क्षेत्र 60 प्रतिशत एवं सड़क सुविधा हेतु 40 प्रतिशत रखते हुए योजना का अनुमोदन किया जावे।
2. योजना सीमा से बाहर स्थित भूखण्ड संख्या 18 से 22 को अस्वीकृत किया जावे।
3. योजना में भूखण्ड संख्या 24 से 35 के दक्षिण में स्थित 30' सड़क को 40' किया जावे।
4. निवारू जाने वाली रोड़ को 80' किया जावे।
5. भूखण्ड संख्या 10 व 11 को जोनल समिति के निर्णय अनुसार सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे।
6. जोनल समिति के निर्णयानुसार प्रस्तावित 80' सड़क पर दर्शायी गयी दुकानों का अनुमोदन नहीं किया जावे।
7. योजना को जविप्रा आदेश क्रमांक अ.आ./भूमि/2002/डी-451 दिनांक 25.02.2002 के अनुसरण में राज्य सरकार को भिजवाया जावे।

- (3)
- | | |
|--|-----------------------------------|
| 1. खातेदार / गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | श्री लक्ष्मी गृ.नि.स.स. |
| 2. योजना का नाम | शक्ति नगर |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नम्बर | हरमाड़ा, ख.न. 61,148,
146, 147 |
| 4. सेक्टर नम्बर | |

जोनल लेवल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त / संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर निर्णय लिया गया कि सर्वप्रथम योजना का परीक्षण जोनल लेवल कमेटी द्वारा किया जाने के पश्चात ही योजना बी.पी.सी. कमेटी (ले-आउट प्लान) के समक्ष प्रस्तुत की जावे।

- (4)
- | | |
|--|-------------------------|
| 1. खातेदार / गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | सुभाष सिन्धी गृ.नि.स.स. |
| 2. योजना का नाम | माधो नगर |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नम्बर | नीदंड ख.न. 921, 922 |
| 4. सेक्टर नम्बर | — |

जोनल लेवल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 27.02.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त / संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-


1. योजना का अधिकांश (80 प्रतिशत) हाइवे कन्ट्रोल बेल्ट रेगुलेशन 2002 के अनुसार राष्ट्रीय राजमार्ग में आने के कारण प्रभावित भाग को अस्वीकृत करते हुए शेष भाग का अनुमोदन किया जावे।
2. जोनल समिति की सिफारिश के अनुसार भूखण्ड संख्या 38 को न्यूनतम निर्मित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण अस्वीकृत किया जावे।
3. योजना का भू-उपयोग परिवर्तन नियमानुसार ग्रामीण क्षेत्र से आवासीय किया जावे।

- (5)
- | | |
|--|------------------|
| 1. खातेदार / गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम | भैरव गृ.नि.स.स. |
| 2. योजना का नाम | कृष्णा विहार |
| 3. ग्राम का नाम व खसरा नम्बर | निवारू, ख.न. 470 |
| 4. सेक्टर नम्बर | |

जोनल लेवल (जोन संख्या डी-2) कमेटी की बैठक दिनांक 27.02.2002 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त / संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. योजना में आवासीय क्षेत्र 60 प्रतिशत एवं सड़क सुविधा हेतु 40 प्रतिशत रखते हुए योजना का अनुमोदन किया जावे।
2. योजना में दिखायी गयी निवारू गांव को जाने वाली सड़क को 40' के स्थान पर 60' करने हेतु वर्तमान स्थित सड़क (25'-6") के मध्य बिन्दु से 17'-6" की चौड़ाई में शेष भूमि ले ली जावे।

3. जोनल समिति की सिफारिश के अनुसार भूखण्ड संख्या 22,23, 38,39 को सुविधा क्षेत्र में लिया गया है इसके अतिरिक्त योजना में आवासीय क्षेत्र 60 प्रतिशत किये जाने के कारण भूखण्ड संख्या 24 को भी सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे। भूखण्ड संख्या 15 में अधिकतम निर्मित क्षेत्रफल कम मिलने के कारण इस भूखण्ड को सड़क सुविधा हेतु रखा जावे।
4. योजना को जविप्रा आदेश क्रमांक अ.आ./भूमि/2002/डी-451 दिनांक 25.02. 2002 के अनुसरण में राज्य सरकार को भिजवाया जावे।


वरिष्ठ नगर नियोजक (मास्टर प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की वृत्त... बैठक दिनांक 5-3-2002... का कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : मित्र गृ. नि. स. समिति
2. योजना का नाम : वैशाली एनक्लेव
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : वी३ खातापत्रा, 105
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेवल(जोन संख्या... 6....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. भूखण्ड सं० 12 के पूर्व की ओर सड़क की चौड़ाई 40 फिट रखी जावे ।
2. भूखण्ड सं० 6 के उत्तर की ओर सड़क की चौड़ाई 40 फिट रखी जावे ।
3. भूखण्ड सं० 1 से 6 के पश्चिम में सड़क की चौड़ाई 40 फिट रखी जावे ।
4. योजना में आवासीय तथा वाणिज्यक का कुल क्षेत्रफल 60% एवं फेसिलिटी सड़क आदि का क्षेत्रफल 40% रखा जाये जिसके लिए भूखण्ड सं० 25, 26, 27 को फेसिलिटी क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जाये ।

२२

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी॥ले-आउट प्लान॥ की बैठक हेतु एजेण्डा नोट ।

विषय:- मित्र गृ.नि.स. समिति की योजना वैशाली एनक्लेव के अनुमोदन के संबंध में ।

प्रकरण के तथ्य :-

जोन से प्राप्त प्रपत्र में दी गयी सूचना के आधार पर मित्र गृ.नि.स. समिति ने 30250.00 व.ग. ॥10 बीघा॥ भूमि खसरा नंबर 105 ग्राम- बीड खातीपुरा की क़य की थी जिसमे वैशाली एनक्लेव योजना सृजित की गयी है । योजना की भूमि एव.एव. लेण्ड होने के फलस्वरूप 90 बी की कार्यवाही नहीं की गयी है -

तकनीकी विश्लेषण -

जोन से प्राप्त सूचना के अनुसार भू उपयोग विश्लेषण एवं गणना निम्नानुसार है :-

क्र०सं०	भू उपयोग	प्रस्तावित योजना		मौके की स्थिति के अनुसार	
		क्षेत्रफल	प्रतिशत	क्षेत्रफल	प्रतिशत
1.	आवासीय	20014.00	62.11%	20399.93	66.68%
2.	वाणिज्यक	235.00	0.73%	267.22	0.87%
3.	सुविधा क्षेत्र				
	सड़के	7992.00	24.80%	6632.91	21.68%
	फैसिलिटी	3979.00	12.36%	3293.89	10.77%
	कुल	32220.00	100%	30593.95	100%

विवारणीय बिन्दु :-

- जोनल स्तरीय कमेटी की जोन लेवल पर कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी है । इस प्रकार इस प्रकरण में जोन स्तर से कोई अभिभांसा प्राप्त नहीं हुई है ।
- योजना में आवासीय क्षेत्रफल 66.68% एवं वाणिज्यक 0.87% मौके के अनुसार दर्शाया है । इस प्रकार कुल आवासीय एवं व्यावसायिक क्षेत्रफल 67.55% आता है जबकि पूर्व प्रक्रिया के अनुसार यह क्षेत्रफल 60% होना चाहिए । जोन से आवासीय क्षेत्रफल कम करने का कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है । भूखण्ड सं० 25, 26, 27 जिनका कुल क्षेत्रफल लगभग 2100 व.ग. आता है फैसिलिटी एरिया के अन्तर्गत प्रावधानित क्रिया जाना प्रस्तावित है ।

3. भूखण्ड सं० 12 के पूर्व में तथा दुकानों के बीच की सड़क 40 फिट क्रिया जाना प्रस्तावित है ।
4. भूखण्ड सं० 6 के उत्तर की ओर सड़क की चौड़ाई जो मौके पर 34 फिट उपलब्ध है तथा पूर्व दिशा में 40 फिट चौड़ी रोड़ से मिलती है उसे 40 फिट क्रिया जाना प्रस्तावित है ।
5. भूखण्ड सं० 1 से 6 के पश्चिम में सड़क की चौड़ाई 30 फिट से लेकर 35 फिट तक उपलब्ध है जिसे 40 फिट क्रिया जाना प्रस्तावित है ।

[Handwritten signature]

कृषि भूमि नियमन अभियान 2002 के अन्तर्गत बी.पी.सी.
में रखे जाने वाले मामले का एजेण्डा नोट

सर्वेदल की प्राप्ति का दिनांक

सर्वे के पश्चात प्रस्तुतिकरण का दिनांक

भू-स्वामित्व सूचना

जोन नम्बर बी-6

सैक्टर नम्बर 3

1. नाम गृह निर्माण सहकारी समिति :- मित्र गृ. नि. स. स.
2. योजना का नाम :- वैशाली एन्कलेव
3. योजना की भूमि का विवरण (सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर) :-

खातेदार का नाम	ग्राम	ख. नं.	रकबा	रजि. / इकरारनामे की दिनांक
श्रीमती कमला सगतसिंह w/o लै. जनरल सगतसिंह जाति राजपूत नि. बीड़ खाती पुरा तह. जयपुर	बीड़ खातीपुरा	105	10.00 30250 वर्ग गज	इकरारनामा दि. 25-10-75 के अनुसार
नोट :- राजस्व फार्म श्री दर्ज है।	रिकार्ड जमाबंदी सवाईमानसिंह जी	में उपरोक्त शरी का स्वामित्व महाराज, जयपुर के तहत से		

4. क्या प्रस्तावित योजना का क्षेत्रफल क्रय किए क्षेत्रफल से अधिक है यदि हाँ तो विवरण :-

32320 - 30250 = 2070 वर्ग गज रकबा स्वामित्व के इकरारनामे
से अधिक है।

जमीन

2. योजना मानचित्र की नियोजन संबंधी परीक्षण रिपोर्ट

सहकारी समिति मित्र ग्रह नि.स.स. की योजना वैजाली स्तम्भ का परीक्षण किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है:-

- (i) योजना की प्लान्ट के अनुसार सही है/नहीं। (यदि सही नहीं हो तो विस्तृत विवरण)
सही है
- (ii) मौके पर योजना मानचित्र के अनुसार ब्लॉक सीमांकन किया हुआ है/नहीं।
है
- (iii) मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित योजना क्षेत्र का निर्धारित भू-उपयोग
आवासीय
- (iv) मास्टर विकास योजना में निर्धारित सड़कों के संबंध में टिप्पणी-
कोई सड़क नहीं आती है।
- (v) सैक्टर प्लान में निर्धारित सड़क के संदर्भ में टिप्पणी (यदि मौके पर सैक्टर रोड निर्धारित है।)
कोई सैक्टर रोड नहीं है
- (vi) रेलमार्ग /राष्ट्रीय मार्ग/ सार्वजनिक मार्ग/ जिला मार्ग एवं अन्य मार्गों के केन्द्र बिन्दु से योजना की दूरी
सिरसी रोड से लगभग 1080' दूरी पर है।
- (vii) हाइवे कन्ट्रोल वेल्ड के संदर्भ में टिप्पणी
X
- (viii) प्रतिबंधित / असुरक्षित क्षेत्र (बाढ ग्रस्त इत्यादि) के संदर्भ में टिप्पणी
X
- (ix) हाईटेन्सन लाईन के संबंध में टिप्पणी यदि वह योजना क्षेत्र में से गुजर रही हो।
H.T. Line नहीं है
- (x) क्या प्रस्तावित योजना का पूर्व में कभी तकनीकी अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो कब?
नहीं
- (xi) योजना मानचित्र पर रोटवैक्स की स्थिति
अंकित कर दिये गये हैं। विचार किया जाना है।

(xii) प्रस्तावित योजना के समीपस्थ यदि मौके पर अन्य योजनाएँ निर्मित/स्थित /प्रस्तावित हैं तो उनकी सड़कों के साथ प्रस्तावित योजना की सड़कों से मिलान है या नहीं ..
मानचित्र में अंकित रोड नं० 1, 2, 3, 4 का मिलान अन्य योजनाओं से है।

(xiii) प्रस्तुत योजना मानचित्र का भू-उपयोग विश्लेषण एवं गणना तालिका निम्न प्रकार से है।
प्रस्तावित योजना अनुसार /मौके की स्थिति के अनुसार मौके की स्थितिनुसार

1	2	संख्या	क्षेत्रफल	प्रतिशत	संख्या	क्षेत्रफल	प्रतिशत	9
1.	आवासीय भूखण्ड	8	20014.00	62.11%		2039993	66.68%	
2.	वाणिज्यिक भूखण्ड		235100	0.73%		26722	0.87%	
3.	सुविधा क्षेत्र							
	अ. पार्क							
	ब. सड़कें		1992.00	24.80%		6632.91	21.68%	
	स. Facility		3979.00	12.36%		3293.87	10.77%	
	द.							
			32230.00	100%		3059395	100%	

(xiv) पूर्व में तकनीकी दृष्टि से अनुमोदित योजना व प्रस्तुत की गई योजना में यदि कोई अन्तर हो तो उसका विवरण : 7

पूर्व में अनुमोदित नहीं है

(xv) क्या प्रस्तावित योजना के संबंध में भू-उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही (यदि आवश्यक हो तो) की जा चुकी है।

आवश्यकता नहीं है

(xvi) मौके पर पूर्ण / आंशिक निर्मित भूखण्डों की कुल संख्या
 चार दीवारी निर्मित भूखण्डों की कुल संख्या

B- 6
 CW- 18
 V- 5
29

(xvii) बिन्दु संख्या 1 से 16 तक के अतिरिक्त योजना से संबंधित अन्य कोई तथ्य (यदि हो तो) मानचित्र में 9 दुकाने प्रस्तावित हैं जो मौके पर निर्मित नहीं हैं।
दुकानों का प्रस्ताव अनुमोदित योग्य नहीं है।

(xviii) योजना या उसके कोई भूखण्ड यदि पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से स्वीकृति योग्य नहीं टिप्पणी ।

3. योजना के अनुमोदन बाबत समग्र निष्कर्ष /टिप्पणी/शिफारिश/ विचारणीय बिन्दु:

चंद्रशेखर
 हस्ताक्षर
 पञ्जाबी

अ. ना. वर्मा
 हस्ताक्षर
 तहसीलदार

अ. ना. वर्मा
 हस्ताक्षर
 अग्रमहापक नियोजन

अ. ना. वर्मा
 हस्ताक्षर
 अग्रमहापक (जाब)

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.वस्तु.वै. बैठक दिनांक.5-3-2002...का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : टैगोर नगर
2. योजना का नाम : हीरावत नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : सांगानेर 514, 724, 725
4. सैक्टर नंबर : 28

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी..1.....) कमेटी की बैठक दिनांक.....में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. वृंकि जोन से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार योजना की सम्पूर्ण भूमि की 90 बी की कार्यवाही कर ली गयी है तथा सम्पूर्ण क्षेत्र प्राधिकरण में निहित हो चुका है अतः योजना का नियमन क्रिया जावे ।
2. आवासीय क्षेत्रफल 60 प्रतिशत रखने के लिए भूखण्ड सं० 7, 8, 9, 10 जो मौके पर खाली है उन्हें सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।
3. मुख्य रोड़ की चौड़ाई सैक्टर रोड़ के अनुसार 100 फिट रखी जावे जिसके लिए मुख्य रोड़ से लगते हुए भूखण्ड सं० 1 से 5 की गहराई 2 फिट कम की जाये ।
4. एल.टी. लाईन जो भूखण्ड सं० 17, 18 के ऊपर से गुजरती है इन भूखण्डों का नियमन इस शर्त के साथ क्रिया जावे कि उनके द्वारा निर्माण कार्य से पूर्व एल.टी.लाईन स्वयं के खर्च से हटवा ली जावे ।

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर ।

बीपीसी-11 कांपरेटिव को बैठक हेतु एजेण्डा नोट ।

विषय: - टैगोर नगर गृ.नि.स. समिति को योजना हीरावत नगर के अनुमोदन के संबंध में ।

प्रकरण के तथ्य :-

टैगोर नगर गृ.नि.स. समिति ने सर्वप्रथम दिनांक 15-3-86 को हीरावत नगर योजना अनुमोदन हेतु आवेदन किया था उसके पश्चात् दिनांक 19-4-97 को पुनः योजना अनुमोदन हेतु आवेदन किया है । समिति द्वारा प्रस्तुत स्वामित्व संबंधी दस्तावेजों की जांच जोन द्वारा की गयी है । प्रस्तुत प्रपत्र के अनुसार समिति ने गत खसरा नं० 217 रकबा 1 बीघा 8 बिस्वा हाल खसरा नं० 514 रकबा 0.13 हेक्टेयर, खसरा नं० 724 रकबा 0.04 हेक्टेयर, खसरा नं० 725 रकबा 0.23 हेक्टेयर ग्राम-सांगानेर कुल रकबा 0.40 हेक्टेयर {4784.00 व.ग.} भूमि इकरारनामे से क्रय की है । जोन के प्राधिकृत अधिकारी के न्यायालय द्वारा 90 बी के आदेश पारित हो चुके है । योजना के पश्चिम में सैक्टर प्लान के अनुसार 100 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है किन्तु मौके पर 98'-0" चौड़ी सड़क उपलब्ध है । अन्दर की सड़कों की चौड़ाई 30'-0" प्रस्तावित की है । भूखण्ड सं० 8, 9, 17, 18 पर से डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक लाइन गुजरती है । मास्टर विकास योजना 2011 के अनुसार इस भूमि का भू उपयोग आवासीय है । समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र एवं मौके की स्थिति का तुलनात्मक तकनीकी विश्लेषण निम्नानुसार है -

क्र.सं०	भू उपयोग	समिति द्वारा प्रस्तुत योजना मानचित्र के अनुसार		मौके की स्थिति के अनुसार	
		क्षेत्रफल {व.ग.}	प्रतिशत	क्षेत्रफल {व.ग.}	प्रतिशत
1-	आवासीय	5939.00	61.5%	5734.00	66.2%
2-	वाणिज्यिक	-	-	500.00	5.8%
3-	पार्क	224.00	2.3%	215.00	2.5%
4-	सड़के	3499.00	36.2%	2215.00	25.5%
	कुल	9622.00	100%	8664.00	100%

भूखण्डों की स्थिति -

	<u>आवासीय</u>	<u>दुकानें</u>
1- पूर्ण/आंशिक निर्मित भूखण्डों की संख्या	- 11	- 3
2- कम्पाउण्ड वाला निर्मित भूखण्डों की संख्या	- 11	- 3
3- खाली भूखण्डों की संख्या	- 02	निल
कुल भूखण्ड	- 24	- 6

विचारणीय बिन्दु :-

- 1- पूर्व प्रक्रिया के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 60%, सड़क व सुविधा का क्षेत्रफल 40% अनुज्ञेय है जबकि मौके की स्थिति के अनुसार आवासीय क्षेत्रफल 66.2% है इसलिए अधिक आवासीय क्षेत्रफल के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
- 2- प्रपत्र की रिपोर्ट के अनुसार समिति ने 0.40 हेक्टेयर {4784.20 व.ग.} भूमि क्रय की है किन्तु मौके पर योजना 8664.00 व.ग. पर है इसलिए भूमि के अधिक क्षेत्रफल {3879.80 व.ग.} के संबंध में निर्णय लिया जाना प्रस्तावित है।
- 3- योजना के पश्चिम में मास्टर विकास योजना 2011 में 100 फिट चौड़ी सड़क प्रस्तावित है जबकि मौके पर 98'-0" चौड़ी सड़क ही उपलब्ध है इसलिए भूखण्ड सं० 1, 2, 3, 4, 4ए व 5 में से 2'-0" चौड़ी भू पट्टी का क्षेत्रफल क्रय किया जाना प्रस्तावित है।
- 4- कुद भूखण्ड डोमेन्टिक इलेक्ट्रिक लाइन से प्रभावित है जिनकी स्वीकृति इलेक्ट्रिक लाइन टोवने में पर्याप्त की जानी उपयुक्त होगी।

भूमि रूपांतरण अभियान 99 के अन्तर्गत
वी.पी.सी. द्वितीय (सीपीसी) में रखे जाने वाले मामलों का एजेण्डा

प्लान नम्बर :
सेक्टर नम्बर :

1. भू-स्वामित्व सूचना

- (i) नाम गृह निर्माण सहकारी समिति श्रीगौर
- (ii) योजना का नाम हीरावत नगर
- (iii) योजना की भूमि का विवरण--(सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर)

खातेदार का नाम	ग्राम	खसरा नम्बर	रकबा	रजिस्ट्री/इकरारनामों की दिनांक
भारत चन्द पुत्र गुरु	श्रीगौर	37		19/4/81
लाल जगन की सवाल		217	1-08	
साधु जयपुर		हलिकोन	हलिकोन	
		514	0.13	
		724	0.04	
		725	0.23	
			0.40	

(iv) क्या प्रस्तावित योजना का क्षेत्रफल कम किए क्षेत्रफल से अधिक है ? यदि हां तो विवरण
एकन एमनिंग से सम्बन्धित है

(v) योजना की भूमि के संबंध में किसी भी न्यायालय में कोई वाद लम्बित/ निर्णीत (यदि जानकारी में हो) तो विवरण :- L.A डेविप्ट बाधित है


(vi) अन्य कोई सूचना जिससे योजना की रवीकृति/ नियमितिकरण पर प्रभाव पड़ता है (यथा भूमि का राजकीय होना, अवाप्ती में होना, जेडीए की किसी योजना का भाग होना आदि)
एकन एमनिंग से सम्बन्धित है

(vii) प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा भू रजिस्ट्रार अधिनियम 1956 की धारा 90 बी के तहत सम्पूर्ण कार्यवाही की गयी है तथा प्रस्तुत योजना में दर्शाई गई भूमि प्राधिकरण में निहित हो चुकी है, हां या नहीं। प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उपरोक्त स्वतंत्रता के अधिकार के अभाव में योजना को अग्रिम में ले जाने के कारण 90B के तहत बाधक प्रभाव लगे के कारण बाधित है

(viii) क्या प्रस्तावित योजना स्वामित्व की दृष्टि से नियमितिकरण के योग्य है / नहीं।
प्राधिकृत अधिकारी के अनुसार 90B के अन्तर्गत बाधित हो चुकी है

रूढ़िकारी समिति डी.गौर नगर गृह नि.स.स. की योजना डी.शिवत नगर का परीक्षण किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

- (i) योजना 'की' प्लॉट के अनुसार सही है/नहीं। (यदि सही नहीं हो तो विस्तृत विवरण)
हां
- (ii) मौके पर योजना मानचित्र के अनुसार प्लॉट सीमांकन किया हुआ है/नहीं।
- (iii) मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित योजना क्षेत्र का निर्धारित भू-उपयोग -
आवासीय
- (iv) मास्टर विकास योजना में निर्धारित सड़कों के संबंध में टिप्पणी-
योजना के सामने 100' चौड़ी सड़क मौके पर 98 फिट चौड़ी है।
- (v) सैक्टर प्लान में निर्धारित सड़क के संदर्भ में टिप्पणी (यदि मौके पर सैक्टर रोड़ निर्धारित है।)
बिंदु IV अनुसार
- (vi) रेलमार्ग/राष्ट्रीय मार्ग/सार्वजनिक मार्ग/जिला मार्ग एवं अन्य मार्गों के केन्द्र बिन्दु से योजना की दूरी -
रेलवे स्टेशन सामने से 200 फिट दूर
- (vii) हाइवे कंट्रोल बेल्ट के संदर्भ में टिप्पणी
लागू नहीं
- (viii) प्रतिबंधित/असुरक्षित क्षेत्र (वाढ गस्त इत्यादि) के संदर्भ में टिप्पणी
लागू नहीं
- (ix) हाइड्रेशन लाइन के संबंध में टिप्पणी यदि वह योजना क्षेत्र में से गुजर रही हो।
भू.सं. 8, 9, 17 व 18 पर Domestic supply की विद्युत लाइन है।
- (x) क्या प्रस्तावित योजना का पूरा में कमी तकनीकी अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो कब?
नहीं
- (xi) योजना मानचित्र पर सैक्टर का स्थिति
नहीं है।



कार्यालय टिप्पणी
जयपुर विकास प्राधिकरण

विषय: डॉक्टर जगल गृह नि.स.स. की योजना "हीरावत - नगल" के BPC II कोष से अनुमोदन कावत।

उक्त योजना की पत्रावली विधिवत प्रपत्रादि मसुदा BPC II कोष से अनुमोदन के लिये STIP कोष में की गिजवापे जाते हेतु प्रस्तुत है।

23/10/2009

DPF II
25/1/02

2

~~Dept~~
STIP/Coop

23/10/09

3

~~DTP/Coop~~

23/10/2009

~~STIP (Coop) F-572
23/10/2009
03/11/2002~~

DC FIF 562
23/10/09

4 Dr. Jagan Lal 23/10/09
ATP (Coop)

Draft agenda is submitted for kind perusal and app pl

5

~~Dept~~ (Coop)

23/11/2001

~~STIP (Coop) F-44
25/11/2002
05/12/2002~~

6

~~Dept~~ (Coop)

Draft Agenda for Approval of Cooperative Scheme in meeting is placed below for kind perusal & Approval pl.

26/11/2009

Secy
J.D.C.

DCC-1/A89
6/2/02

8

In view of Reconstitution of Committee, Draft Agenda placed below is submitted for kind perusal & Approval pl.

02/11/2002

~~Dir (T.P.)~~

Kindly take action in the light of U.D. Deptt. order dated 11.01.02.

24/01/02
Director (T.P.)

10

M.S. (BPC)
~~DC Cf~~ ATP

24/1/02

कार्यालय टिप्पणी

जयपुर विकास प्राधिकरण

के निहित हो चुकी है

अवैधानिक है एक आदेश 9-9-01

17

TDR (c)



4/3/02

हस्ताक्षर

4/3/2002

~~D.C. ग. ए. C-1~~

18

पूर्ववर्ती BPC के निर्णयानुसार में है योजना क्षेत्र की
PLR पर की गयी 70 B के तहत कार्रवाई की जा चुकी
है (14/N, 35 to 38/c)।

इस योजना का क्रम दि: 08-3-2002 को निर्धारित है
अतः BPC से अनुमोदनार्थ प्रेषित है अंक 4/3/02

STP (Comp)

19

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की...चतुर्थ...बैठक दिनांक..5-3-2002..का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी
समिति का नाम : गुलाब बाड़ी
2. योजना का नाम : गुलमोहर लेन
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : जी.इ.स्वात्तीपुरा 105,106,80,74,83
4. सैक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...सी-6....) कमेटी की बैठक दिनांक...में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

1. भूखण्ड सं० 8 ए व 7 ए को सुविधा क्षेत्र के अन्तर्गत रखा जावे ।
2. योजना के मध्य से गुजरने वाली 30 फिट रोड़ को 40 फिट किया जावे एवं 25 फिट की सड़क को 30 फिट किया जावे ।
3. सिरसी रोड़ की चौड़ाई 160 फिट रखते हुए प्रभावित होने वाले भूखण्डों का क्षेत्रफल तदनुरूप कम करते हुए नियमन की कार्यवाही की जावे ।

कृषि भूमि नियमन अभियान 2002 के अन्तर्गत बी.पी.सी.
में रखे जाने वाले मामले का एजेण्डा नोट

सर्वेदल की प्राप्ति का दिनांक

सर्वे के पश्चात प्रस्तुतिकरण का दिनांक

भू-स्वामित्व सूचना

जोन नम्बर B-6

सैक्टर नम्बर 03

1. नाम गृह निर्माण सहकारी समिति :- गुलाब - बाड़ी
2. योजना का नाम :- गुल मोहर गैंग
3. योजना की भूमि का विवरण (सहकारी समिति द्वारा प्रस्तुत रिकार्ड के आधार पर) :-

खातेदार का नाम	ग्राम	ख. नं.	रकबा	रजि. / इकरारनामे की दिनांक
श्री ०० अनन्त खानन्द	बीड -	105	7-00	इकरारनामा
नारायण भाचुर पुत्र	स्वातीपुरा	106		दिनांक 3-11-75
श्री रामनारायण भाचुर		20		
निवासी बीड स्वातीपुरा		74		
तक्षीण भाचपुर		83		
जमाबंदी सं 2052 से 55 की धारा 31 के अन्तर्गत				
उपरोक्त इकरारनामा कर श्री स्वाती भाग सिद्ध है,				
महाराज भाचुर श्री स्वातीपुरा के अन्तर्गत है।				

4. क्या प्रस्तावित योजना का क्षेत्रफल क्रय किए क्षेत्रफल से अधिक है यदि हाँ तो विवरण :-

26136 - 21175 = 4961 वर्ग गज स्वामित्व में अर्जित है।
तो इन्ही गजों का रकबा है महाराज अर्जित है।
रकबा भी अर्जित है।

2. योजना मानचित्र की नियोजन संबंधी परीक्षण रिपोर्ट

सहकारी समिति गुलाबबाड़ी थ. नि. की योजना गुलमोर लेन का परीक्षण किया गया जिसकी जांच रिपोर्ट निम्न प्रकार है :-

(i) योजना प्लान के अनुसार सही है/नहीं। (यदि सही नहीं हो तो विस्तृत विवरण)

तकनीकी अनुमोदन मानचित्र व मौके मानचित्र अनुसार भूखण्ड संख्या 16 के स्थान पर 24 व 22 के स्थान पर 38 दर्शा रखा है। डाटा मौके के अनुसार भूखण्ड 38 व 24 दो बार अंकित है नियमन के समय उपरोक्त भूखण्डों का आवेदन कराने के लिए प्रस्तुत दस्तावेज एवं कब्जा अनुसार कायदा रकबा जाना प्रस्तावित है।

(ii) मौके पर योजना मानचित्र के अनुसार ब्लॉक सीमांकन किया गया है/नहीं।

है

(iii) मास्टर विकास योजना 2011 में प्रस्तावित योजना क्षेत्र का निर्धारित भू-उपयोग

आवासीय

(iv) मास्टर विकास योजना में निर्धारित सड़कों के संबंध में टिप्पणी -
मास्टर विकास योजना में निर्धारित सड़क (सिरसी रोड 160' चौड़ी है जो योजना मानचित्र में मौके अनुसार सड़क के मध्य बिन्दु से 35' से 49' 6" दर्शा रखा है जिसको मध्य बिन्दु से योजना की ओर 80' किया जाना प्रस्तावित है।

(v) सैक्टर प्लान में निर्धारित सड़क के संदर्भ में टिप्पणी (यदि मौके पर सैक्टर रोड निर्धारित है।)
सैक्टर प्लान में सिरसी रोड 160' दर्शा रखा है जो कि इस योजना में मध्य बिन्दु से 35' से 49' 6" है जिसे मध्य बिन्दु से 80' किया जाना प्रस्तावित है।

(vi) रेलमार्ग/राष्ट्रीय मार्ग/सार्वजनिक मार्ग/जिला मार्ग एवं अन्य मार्गों के केन्द्र बिन्दु से योजना की दूरी
सार्वजनिक मार्ग सिरसी रोड पर मध्य बिन्दु से 35' से 49' 6" पर स्थित है

(vii) हाइवे कन्ट्रोल बेल्ट के संदर्भ में टिप्पणी

नहीं है।

(viii) प्रतिबंधित/असुरक्षित क्षेत्र (बाढ़ ग्रस्त इत्यादि) के संदर्भ में टिप्पणी

नहीं है।

(ix) हाइटिन्सन लाईन के संबंध में टिप्पणी यदि वह योजना क्षेत्र में से गुजर रही हो।

नहीं है।

(x) क्या प्रस्तावित योजना का पूर्व में कभी तकनीकी अनुमोदन किया गया है? यदि हां तो कब?


तकनीकी अनुमोदन 13.12.1984 को किया गया था।

(xi) योजना मानचित्र पर सेटबैक्स की स्थिति

मौके के अनुसार जो मानचित्र तैयार किया है में पूर्व अनुमोदित मानचित्र के अनुसार सेटबैक्स अंकित कर अनुमोदनायक प्रस्तुत है।

अतिरिक्त विचारणीय बिन्दु

1. सिरसी रोड के मध्य बिन्दु से 80'-0" की लाईन अंकित करने पर भू. स. 21, 1 एवं 15 सडक सोमा मे आने के कारण समाप्त हो रहे है ।
2. भू. स. 8ए, 8, 9 एवं 20 19, 18, 17, 24 के मध्य की सडक 30'-0" के स्थान पर 25'-0" ही मौके पर उपलब्ध है पर विचार किया जाना है की सडक कि चौडाई कितनी रखी जावे ।
3. भूखण्ड सखा 2 से 7ए के सामने की सडक मौके पर 30'-0" ही उपलब्ध है इस सडक का 10'-0" चौडी का हिस्सा इस योजना के भूखण्डो द्वारा ही शामिल किया जाना प्रतीत होने के कारण इस योजना के भूखण्डो की गहराई मे से 10'-0" x 40'-0" सडक पर खुलने वाले भूखण्डो कम करते हुए सडक की चौडाई 40'-0" रखा जाना उचित रहेगा । क्यो कि यह सडक हनुमान नगर बी मे 40'-0" की ही अनुमोदित है ।
4. पूर्व तकनीकी अनुमोदित मानचित्र मे जो इस योजना का सुविधा क्षेत्र दर्शाया गया है वह हनुमान नगर बी के योजना मानचित्र मे इसी भूमि को सुविधा क्षेत्र दर्शा कर अनुमोदित किया गया है वह वर्तमान मे इस स्थान पर भू. स. बी-160से बी-162 वशा रखा है जो मौके पर निर्मित है । इसे पूर्व अनुमोदित मानचित्रानुसार रखा जाना हो प्रस्तावित है ।


23/02

ज. ना. वर्मा
AIP B6.

कार्यालय जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

बीपीसी(ले-आउट प्लान)की..... बैठक दिनांक 5/3/08 का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी समिति का नाम : माधव गृ० नि० स० स०
2. योजना का नाम : हिम्मत नगर
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० : मानपुर {देवरी} 116/1, 116/2
4. सेक्टर नंबर :

जोनल लेबल(जोन संख्या...ए-1.....) कमेटी की बैठक दिनांक 05.03.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित वरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- सेक्टर प्लान के अनुसार दर्शाया 160'-0" चौड़ी रोड़ मौके पर कम उपलब्ध है जिसे 160'-0" चौड़ी रखी जायें ।
- 2- एल.टी.लाइन से प्रभावित भूखण्डों को अनुमोदित नहीं किया जायें ।
- 3- इन्दिरा नगर से आने वाली 60'-0" चौड़ी सड़क को हिम्मत नगर योजना में 40'-0" ही रखी जायें ।
- 4- जयपुर टोंक रोड़ 160'-0" चौड़ी रखी जायें ।



बीपीसी(ले-आउट प्लान)की.....बैठक दिनांक 5.3.02.....का
कार्यवाही विवरण।

1. खातेदार/गृह निर्माण सहकारी शंकर भवन गृ०नि०स०स० तथा लूनियावास
समिति का नाम : गृ०नि०स०स०
2. योजना का नाम : गोकुल विहार १ए१ तथा गोकुल विहार १सी१
3. ग्राम का नाम व खसरा नं० :
4. सेक्टर नंबर : 29

जोनल लेबल(जोन संख्या..सी.-2....) कमेटी की बैठक दिनांक 5.3.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशंसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित चरिण्ड नमर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना का भू उपयोग आवासीय एवं संस्थानिक है अतः भू उपयोग परिवर्तन की कार्यवाही की जानी है ।
- 2- भूखण्ड संख्या 6ए, 7 तथा 74 व 71ए १ गोकुल विहार "ए" १ के मध्य 25 से 30 फीट चौड़ी सड़क को सेक्टर प्लान के अनुसार 60 फीट चौड़ा किया जाना है । दोनों ओर से 15 फीट भूमि कम करने का निर्णय लिया जाता है । आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण गोकुल विहार १सी१ का भूखण्ड संख्या 5ए, 36, 16, 25 तथा 71ए १ गोकुल विहार ए१ को निरस्त किया जाता है । भूखण्ड संख्या 92, 93 १ गोकुल विहार ए१ को सड़क क्षेत्र में आने के कारण निरस्त किया जाता है ।
- 3- भूखण्ड संख्या 20, 21 से 44ए व 28ए के बीच की 25'-0" चौड़ी सड़क को सेक्टर प्लान के अनुसार 60 फीट चौड़ी सड़क अनुमोदित किया जाता है । अतः दोनों ओर से 17 फीट 6 इंच भूमि ली जावेगी । आच्छादित क्षेत्रफल नहीं मिलने के कारण गोकुल विहार सी के भूखण्ड संख्या 17 से 24 को निरस्त किया जाता है । इस सड़क क्षेत्र में आने के कारण भूखण्ड संख्या

61ए, 62, 63 को निरस्त किया जाता है ।

- 4- योजना में आने वाली मास्टर प्लान की 100 फीट चौड़ी सड़क को यथावत् रखा गया । सड़क क्षेत्र में आने के कारण भूखण्ड संख्या 2, 2ए, 3, 4, 5, 37ए, 38, 39, 40, 32, 33, 33ए, 34, 35, 29, 28, 64, 23ए, 88, 89, 90 ॥ गोकुल विहार "ए" ॥ निरस्त किये जाते है ।
- 5- मास्टर प्लान की सड़क के उत्तर की ओर 60 फीट चौड़ी सड़क को यथावत् रखे जाने के पश्चात् रिप्लानिंग करने का निर्णय लिया गया ।
- 6- सभी सड़कों की न्यूनतम चौड़ाई 30 फीट करने का निर्णय लिया गया । अतः भूखण्ड संख्या 9 ॥ गोकुल विहार सी ॥ को निरस्त किया गया ।
- 7- गोकुल विहार ॥ ए ॥ के भूखण्ड संख्या 47, 55, 61 के अन्दर के क्षेत्र को रिप्लानिंग हेतु रिजर्व रखा गया ।



बीपीसी (ले-आउट प्लान) की..... बैठक दिनांक 5.3.02..... का
कार्यवाही विवरण।

- | | | |
|----|----------------------------|------------------------|
| 1. | खातेदार/गृह निर्माण सहकारी | शंकर भवन गृ० नि० स० स० |
| | समिति का नाम | : |
| 2. | योजना का नाम | : राधिकापुरम |
| 3. | ग्राम का नाम व खसरा नं० | : |
| 4. | सेक्टर नंबर | : |

जोनल लेबल (जोन संख्या... सी.-2...) कमेटी की बैठक दिनांक 5.3.02 में विचार-विमर्श किया जाकर योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत किये जाने की अभिशांसा के क्रम में समिति के समक्ष संबंधित उपायुक्त/संबंधित बरिष्ठ नगर नियोजक द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा पर विचार-विमर्श किया जाकर एवं राज्य सरकार के योजना अनुमोदन के संबंध में शिथिलता प्रदान करने हेतु पारित आदेशों के परिपेक्ष्य में योजना को स्वीकृत/अस्वीकृत निम्न शर्तों पर किया गया:-

- 1- योजना में भूखण्ड संख्या 35/36 में से पूर्व दिशा से आती हुई तारा नगर की 30'-0" चौड़ी सड़क को थ्रू कट भूखण्ड संख्या 37, 38, के मध्य की सड़क से मिलाये जाने का निर्णय लिया गया।
- 2- भूखण्ड संख्या 20 एवं 19 के पूर्व में 60'-0" चौड़ी सेक्टर रोड़ को यथावत् रखा गया। उक्त सड़क के लिये इन भूखण्डों के पूर्व में रिक्त भूमि में से क्षेत्र लिया जायेगा।
- 3- भूखण्ड संख्या 20 एवं 19 तथा 30 एवं 8 के मध्य की सड़क 25 फीट चौड़ी है जिसे 30 फीट रखने का निर्णय लिया गया अतः सड़क के दोनों ओर से भूमि ली जावेगी। इस सड़क को भूखण्ड संख्या 33 से थ्रू कट भूखण्ड संख्या 33 तथा 32 के पश्चिम में स्थित 30 फीट चौड़ी सड़क से मिलाया जाने का निर्णय लिया गया। भूखण्ड संख्या 1 तथा 4 के मध्य से यह सड़क को दक्षिण की ओर 40'-0" चौड़ी सड़क से मिलाया जावे।
- 4- भूखण्ड संख्या 4, 5, 2 के उत्तर में स्थित सड़क 20 फीट चौड़ी है जो आगे पुरुषार्थ नगर की 28'-6" चौड़ी सड़क से मिलती है। इस सड़क को 30 फीट चौड़ा कर भूमि उक्त भूखण्डों तथा भूखण्ड संख्या 31, 7, ... 2 ...

6 में से लिया जावेगा ।

- 5- भूखण्ड संख्या 49 के दक्षिण में 30 फीट चौड़ी सड़क को शिवराम कालोनी के भूखण्ड संख्या 134 में से शुरू करने का निर्णय लिया गया । भूखण्ड संख्या 49 में से काने की भूमि लेकर इस सड़क को शिवराम कालोनी की सड़क में मिलाया जावे ।
- 6- शिवराम कालोनी भूखण्ड संख्या 136 तथा 135 के मध्य सड़क को राधिकापुरम के भूखण्ड संख्या 49 के उत्तर भाग तक बढ़ाया जावे उक्त भूखण्ड 49 में से इस सड़क हेतु भूमि कम की जावे ।
- 7- भूखण्ड संख्या 1 खातेदार भूखण्ड के उत्तर के रिक्त भूखण्ड तथा भूखण्ड संख्या 32 तथा 33 पार्ट को सुविधा क्षेत्र में दर्शाया जावे ।



जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।

भवन मानिचत्र समिति(ले-आउट प्लान) की वतुर्थ बैठक दिनांक 5-3-2002 को प्रातः 11.00 बजे जयपुर विकास आयुक्त महोदय की अध्यक्षता में आयोजित की गई, जिसमें निम्न सदस्य उपस्थित हुए:-

1. श्री तकीउद्दीन अहमद, विधायक सदस्य
2. श्री अशोक तंवर, विधायक सदस्य
3. श्री राजेन्द्र मावर, प्राधिकरण सदस्य सदस्य
4. श्री ए.एन.भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) सदस्य सचिव
बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-
5. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
6. श्रीमती लवंग शर्मा, वरिष्ठ नगर नियोजक(प्रोजेक्ट) जविप्रा, जयपुर।
7. श्री मुकेश मित्तल, उप नगर नियोजक(एम.पी.) जविप्रा, जयपुर।
8. श्री शक्ति सिंह सिसोदिया, उपायुक्त जोन बी-6, जविप्रा, जयपुर।
9. श्री खान मोहम्मद, उपायुक्त जोन डी-2, जविप्रा, जयपुर।
10. श्री ज.ना. वर्मा, सहायक नगर नियोजक, जोन बी-6, जविप्रा, जयपुर।